कांशीराम / रामकुमार

15/7/16 अकुलाए फरीकेन/वादी/उपस्थित पीठासीन अधिकारी बाहर पधारे हैं आयन्दा पत्रा० दि० 18.10.16 को पेश होवे।

पीठा०

18-10-16 वास्ते जवाब व कार्यवाही पत्रावली दिनांक 5-12-16 को पेश हो।

5/12/16 अकुलाय फरीकेन उप./श्रीमान P.O. बद[illegible] दीगर राज कार्य में व्यस्त है। आयन्दा पत्रावली दिनांक 6.3.17 को उनके समक्ष पेश हो।

6/3/17 अकुलाय फरीकेन उपस्थित श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय स्थानान्तरण अधीन है आयन्दा पत्रावली पूर्वादेश की पालना में दिनांक 1.5.17 को पेश हो

1/5/17 अकुलाय फरीकेन उपस्थित श्रीमान पीठासीन अधिकारी महोदय स्थानान्तरण अधिन है आयन्दा पत्रावली पूर्वादेश की पालना में दिनांक 23.6.17 को पेश हो

23/6/17 लोक अदालत से पत्रावली पेश हुई। पैरोकार सरकार द्वारा पुनः जवाब पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। बाकि बहस पत्रा. दिनांक 8.9.17 को पेश हो।

रामपाल

8/9/17 पत्रावली पेश हुई। वादी वकील उप०। पैरोकार उप०। वादी वकील बहस पेश नहीं करना चाहते बल्कि वादी वकील साक्ष्य पेश करना चाहते हैं। बहस सुनी नहीं। वास्ते आदेश पत्रा. दिनांक 13.9.17 को पेश हो।

Scanned by CamScanner

13/9/17 वादी वकील उपस्थित / वादी का वाद डिक्री
किया जाता है जिसका पृथक से अंकित
किया जाकर आज्ञप्ति पत्रावली (फैसला शामिल)
पत्रावली फैसला शुदा होकर नियम से कार्य
से बाद वाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Au

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पठासीन अधिकारी श्री विश्वमित्र मीणा आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या 134/2011
दायर दिनांक 19.07.2011

उनवान

1. लीलाराम
2. रामपाल पुत्रान दुलीचन्द यादव जाति अहीरान निवासी चोकी तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)

–वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये जिलाधीश महोदय, अलवर
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,, कोटकासिम जिला अलवर (राज0)

--प्रतिवादीगण

दावा इश्तकार हक मय दुरूस्ती इन्द्राज

धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित

फैसला दिनांक: 13/09/2017

वादीगण ने एक दावा इश्त करार हक व दुरूस्ती इन्द्राज बाबत हाल आराजी खसरा नम्बर 372 रकबा 0.38 हेक्टर, 555 रकबा 0.10 हेक्टर, 619 रकबा 0त्र43 हेक्टर 711 रकबा 0.51 हेक्टर किता 4 रकबा 1.42 हेक्टर वाके ग्राम चौकी विरूध प्रतिवादीगण दिनांक 19.07.2011 को पेश किया और प्राथना की उक्त आराजी साबिक आराजी नम्बर 359/0.12, 360/0.14, 570/0.28, 623/0.14, 624/1.00, 649/0.18, 650/1.02 बीघा कुल किता 7 रकबा 5.13 बीघा से कायम किये गये है । इस आराजी को वादीगण के पिता स्व. दुलीचन्द पुत्र खुबराम अहीर ने अपने जीवन काल में जर्ये रजिस्टर्ड बैयनामा पुस्तक संख्या 1 भाग संख्या 9 के पेज नम्बर 203–204 के क्रम संख्या 64 दिनांक 5/06/1971 को तत्कालीन खातेदारान गंगासहाय, भानाराम पुत्रान हेतराम कौम खाती निवासी कोटकासिम से बाजाबता बाकायदा प्रतिफल राशी 56000/– रू आदा कर खरीद किया था । तभी से वादीगण का पिता इस भूमि पर काबिज रहा और पिता की फौतगी के बाद जिन वादीगण विधिवत वारिसान के नाम इन्तकाल दर्ज हुआ, जिस पर वादीगण बदस्तुर काबिज वो दाखिल चले आ रहे हैं। फसल बोते व काटते आ रहे है व आज भी वास्तविक कबजा है। उक्त भूमि सबन्धित जमाबन्दी सम्वत 2019 के खाता संख्या 13 में स्पष्ट रूप से गंगासहाय पुत्र हेतराम खाती को खातेदार दर्ज किया हुआ हैं लेकिन जमाबन्दी मिसल हकीयत सम्वत 2029 में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा खिलाफ

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

। खिलाफ रिकार्ड एवं मौका के गंगा सहाय पुत्र हेतराम को खातेदार के स्थान पर गैर खातेदार दर्ज दिया । जो गैर खातेदारी का अंकन काबिले दुरूस्ती है। इस गलत अंकन की जानकारी दिनांक 06/2011 को जब फाईल तैयार करने लगे तो हुई है।

अतः विवादित भूमि वाके ग्राम चौकी हाल आराजी नम्बर 555, 372, 619, 711 किता 4 रकबा 1.42 हेक्टर का मुताबिक साबिक जमाबन्दी सम्वत 2019 व बैयनामा दिनांक 5/06/1971 के आधार पर वादीगण को खातेदार घोषित किया जाकर खातेदार दर्ज रिकार्ड किया जावे ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर का प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलवी की गई। प्रतिवादीगण की ओर से जरिये प्रतिवादीगण संख्या –2 की ओर से इकबालिया जवाब दावा पेश हुआ । वादीगण ने अपने दावे के कथन की ताईद में साक्ष्य वतौर दस्तावेज जमाबन्दी सम्वत 2065–68 मिलान क्षेत्रफल बन्दोबस्त सम्वत 2029, जमाबन्दी बन्दोबस्त सम्वत 2029, जमाबन्दी साबिक सम्वत 2019, जमाबन्दी सम्वत 2020–2023, मूल बैयनामा दिनांक 5/6/1971 पुस्तु किये।

हमारे इस पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। जमावन्दी सम्वत 2019 व सम्वत 2020 से 2023 मुताबिक वाके ग्राम चोकी साबिक आराजी खसरा नम्बर 650/1.02, 359/0.17, 360/0.14, 570/0.08, 623/0.14, 624/1.00, 649/0.18 बीघा गंगा सहाय पुत्र हेतराम खाती निवासी कोटकासिम खातेदार दर्ज है। रजिस्टर्ड बैयनामा दिनांक 5/6/1971 को पुस्तक संख्या 1 भाग--9 के पेज नम्बर 203–204 के कम संख्या 64 पर पंजीबद्ध होकर गंगा सहाय भानाराम पुत्रान हेतराम जाति खाती निवासी कोटकासिम खातेदार ने दुलीचन्द पुत्र खुबराम जाति अहीर निवासी चौकी को बैचान किया है। मिलान क्षेत्रफल बन्दोबस्त सम्वत 2029 अनुसार साबिक नम्बर 359/0.17 , 360/0.13 बीघा के हाल नम्बर 372/1.10 बीघा, साबिक नम्बर 570/0.08 के हाल नम्बर 555/0.08 बीघा, साबिक नम्बर 623/0.14, 624/1.00 बीघा के हाल नम्बर 619/1.14 बीघा साबिक नम्बर 649/0.18, 650/1.02 बीघा के हाल नम्बर 711/2.00 बीघा कायम होकर जमाबन्दी बन्दोबस्त सम्वत 2029 में उक्त हाल खसरा नम्बर गंगासहाय पुत्र हेतराम कौम खाती निवासी कोटकासिम के नाम गैरखातेदारी से दर्ज किये गये है जबकि भूमि खातेदारी की है। खादेतार दर्ज होना चाहिए । बैयनामा दिनांक 5/06/1971 के तहत क्रेता दुलीचन्द अहीर के नाम दर्ज हुई तथा दुलीचन्द की विरास्त से इसके वारिसान वादीगण के नाम आने से हाल जमावन्दी सम्वत 2065–68 में हाल आराजी नम्बर 555/0.10, 372/0.38, 619/0.43, 711/0.51 किता 4 कुल रकबा 1.42 हेक्टर वादीगण गैर खातेदार दर्ज है। जबकि प्रश्नगत भूमि बन्दोबस्त से पूर्व खातेदारी की थी। बन्दोबस्त विभाग द्वारा गलत रूप से गैरखातेदारी हक से दर्ज किया जाना प्रतीत होता है । प्रतिवादीगण ने भी अपने जवाबदावा में गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दर्ज किये जाने योग्य बताया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस निष्कर्ष पर पहुचे है कि विवादीत भूमि बन्दोबस्त से पूर्व खातेदारी की भूमि थी जो वादीगण के पिता दुलीचन्द पुत्र खुबराम अहीर निवासी चौकी ने रजिस्टर्ड बैयनामा के दिनांक 5/06/1971 को क्रय की है। दुलीचन्द के मौत होने से वादीगण के नाम आयी है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा गलत रूप से गैर खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड की गई है। जिसे कलम जन किया जाकर इसके स्थान पर खातेदार दुरूस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

—:आदेश:—

अतः वादीगण इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम चौकी आराजी खसरा नम्बर 555 / 0.10, 372 / 0.38, 619 / 0.43 , 711 / 051 किता 4 रकबा 1.42 हेक्टर के वादीगण खातेदार घोषित किये जाते है। राज्स्व रिकॉर्ड में गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दुरूस्त किया जावे । तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो । बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम होकर दफ्तर दखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 13/09/2017 को टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

उप खण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner

पर्चा डिक्री

यायालय उपखण्ड अधिकारी कोटकासिम (अलवर)
पठासीन अधिकारी श्री विश्वमित्र मीणा आ0ए0एस0

मुकदमा संख्या 134/2011
दायर दिनांक 19.07.2011

उनवान

3. लीलाराम
4. रामपाल पुत्रान दुलीचन्द यादव जाति अहीरान निवासी चोकी तहसील कोटकासिम जिला अलवर (राज0)

--वादीगण

बनाम

3. राजस्थान सरकार जर्ये जिलाधीश महोदय, अलवर
4. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,, कोटकासिम जिला अलवर (राज0)

--प्रतिवादीगण

दावा इश्तकार हक मय दुरूस्ती इन्द्राज

धारा 88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित

फैसला दिनांक: 13.9.2017

अतः वादीगण इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि वाके ग्राम चौकी आराजी खसरा नम्बर 555/0.10, 372/0.38, 619/0.43 , 711/051 किता 4 रकबा 1.42 हेक्टर के वादीगण खातेदार घोषित किये जाते है। राख रिकॉर्ड में गैरखातेदार के स्थान पर खातेदार दुरूस्त किया जावे । तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो । बाद तकमील पत्रावली नम्बर से कम होकर दफ्तर दखिल हो।

निर्णय आज दिनांक..13.9.17..को टंकित कराया जाकर सरे इजलास सुनाया गया !

उपखण्ड अधिकारी
कोटकासिम (अलवर)

Scanned by CamScanner